



**जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर**

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पी.पी.एम./फा० अनु-सर्वे एवं जांच/प्रे० 2056 दिनांक 16.09.2011


—आदेश—

विषय:—एनर्जी एफिशियेन्ट पम्प की स्थापना पर देय अनुदान राशि के सम्बन्ध में।

इस कार्यालय के द्वारा जारी आर.ई.ओ. 187 दिनांक 27.08.10 के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार जो कृषक एनर्जी एफिशियेन्ट पम्प का विकल्प चयन करते हुए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम थ्री स्टार पम्प सेट स्थापित करेंगे उन्हें 500/- प्रति हॉर्स पावर की दर से राशि विद्युत निगम द्वारा अनुदानित की जाती है।


राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 12(10) ऊर्जा/2006 दिनांक 18.08.2011 से प्रदत्त संशोधित निर्देशों के अनुसार अब जो कृषक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम थ्री स्टार एनर्जी एफिशियेन्ट पम्प की स्थापना करते हैं, उन्हें 750/- प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से विद्युत निगम द्वारा अनुदान देय होगा। जो कि कृषकों को उन्हें जारी मासिक विद्युत बिलों में 12 समान किश्तों में समायोजित होगा। पूर्व में जारी आदेश आर.ई.ओ. 187 की अन्य शर्तें एवं प्रावधान यथावत् रहेंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम.),
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:—

- शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (वित्त/तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय अभियन्ता (जो.स./बी.स.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी (ए एण्ड आर/...../.....), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सतर्कता/आई एण्ड एम/आर ए एण्ड सी/टी. डब्ल्यू/वाणिज्य/ एमएमसी /एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ जालोर/सिरोही /पाली/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरू/ श्रीगंगानगर /हनुमानगढ़/बीकानेर।
- अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये।
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)/उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
- कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता (/पवस/विधि/सतर्कता/अंकेक्षण) जोविनिनि.
(आप के अधीनस्थ कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपि संलग्न है।)
- जनसम्पर्क अधिकारी जोविनिनि, जोधपुर


अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर